



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छोगो)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CG)

(A Central University established by the central University Act.2009 No. 25 of 2009)

क्रमांक


५३५ /विकास/ २०२२

दिनांक: २५/०५/२२

अधिसूचना


अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक १५९५/९३४/२०२१/३८-२ दिनांक २८.१२.२०२१ द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अकादमिक योजना, विकास और निगरानी बोर्ड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९, परिनियम ४८ (२) की कंडिका ११ (सी) के तहत डॉ. समरेन्द्र सिंह, राज्य एन. एस. एस. अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रतिनिधि नामांकित किया गया है। इनका कार्यकाल अधिसूचना तिथि से ०३ वर्ष का होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:

- कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
- डॉ. समरेन्द्र सिंह, राज्य एन. एस. एस. अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर, को सूचनार्थ।
- प्रभारी मीडिया प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी वेबसाइट प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)